

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक- 25/08/2026.

XX
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

XX
द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 273.30 लाख (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख तीस हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रुपये 273.30 लाख (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख तीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत व्यय विवरणी-"क", "ख", "ग" एवं अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न।

2. इस योजना के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन के लिए तकनीशियन एवं परिचारी की सेवाएँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जाना है तथा एक्स-रे फिल्म एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों पर व्यय किया जाना है।
3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशु चिकित्सालयों में पशुधन और कुक्कुट रोगों के निदान और निगरानी की क्षमता विकसित करना है ताकि पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।
4. पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स-रे प्रणाली एवं अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुओं को इन पशु चिकित्सालयों के माध्यम से बेहतर एवं सुलभ पशु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकेगी।

5. विभागीय राज्यादेश पत्र संख्या-2233, दिनांक-21.05.2025 के द्वारा "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2" के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स-रे प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 1111.00 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा निविदा के माध्यम से निर्धारित दर के आधार पर विभागीय राज्यादेश संख्या-570, दिनांक-03.02.2026 के द्वारा "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2" के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स-रे प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 890.28 लाख (आठ करोड़ नब्बे लाख अठाईस हजार) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त राज्यादेश की कंडिका-8 के आलोक में डिजिटल एक्स-रे प्रणाली के अधिष्ठापन हेतु स्थल/कक्ष की उपलब्धता के आलोक में कुल 64 इकाई डिजिटल एक्स-रे प्रणाली के क्रय एवं संस्थापन का प्रावधान है।
6. विभागीय राज्यादेश पत्र संख्या-289, दिनांक-22.01.2025 के द्वारा "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2" अन्तर्गत पशुधन रोगों के निदान के लिए 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रुपये 440.00 लाख (रुपये चार करोड़ चालीस लाख) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा निविदा के माध्यम से निर्धारित दर के आधार पर विभागीय राज्यादेश पत्र संख्या-5116, दिनांक-15.12.2025 के द्वारा "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2" अन्तर्गत पशुधन रोगों के निदान के लिए 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 782.80 लाख (रुपये सात करोड़ बयासी लाख अस्सी हजार) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
7. बी०एल०डी०ए०, पटना के पत्रांक-बी०एल०डी०ए०-36/2026-1210, दिनांक-10.06.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए 101 अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स-रे प्रणाली एवं 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले 40 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने हेतु क्रमशः विभागीय राज्यादेश सं०-2233, दिनांक-21.05.2025 एवं विभागीय राज्यादेश सं०-289, दिनांक-22.01.2025 अन्तर्गत राशि की उपलब्धता के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म M/s Knowteq Concepts Pvt. Ltd. को प्रथम चरण में कुल 35 पशु चिकित्सालयों में एक्स-रे प्रणाली एवं 14 पशु चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन संस्थापित करने हेतु क्रयादेश निर्गत किया गया है जिसके तहत आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा कार्य किया जा रहा है।

8. डिजिटल एक्स-रे प्रणाली एवं अल्ट्रासाउंड मशीनें जटिल मशीनों की श्रेणी में आती हैं। अतः, उनके संचालन एवं रख-रखाव हेतु कुशल तकनीशियन (Technician) एवं परिचारी की आवश्यकता होगी।
9. डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन के लिए प्रति पशु चिकित्सालय एक तकनीशियन एवं परिचारी की आवश्यकता होगी। साथ ही, एक्स-रे फिल्म एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता होगी। तदनुसार प्रथम चरण हेतु कुल 40 पशु चिकित्सालयों, जिनमें डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन का संस्थापन एवं संचालन किया जाना है, के लिए मदवार आवश्यक राशि का आकलन अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
10. डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन के लिए तकनीशियन एवं परिचारी की सेवाएँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जाना है। इसके लिए तकनीशियन एवं परिचारी की शैक्षणिक एवं वांछनीय योग्यता, कार्यानुभव, दायित्व एवं सेवा शर्तें इत्यादि का निर्धारण करते हुए बी०एल०डी०ए०, पटना के स्तर से निविदा प्रक्रिया की जाएगी।
11. इस योजना के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन हेतु स्वीकृत राशि का आवश्यकतानुसार व्यय परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
12. वर्तमान में योजना हेतु आवर्ती व्यय का आकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए की गयी है। परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा योजना के प्रभाव का आकलन करते हुए आगामी वित्तीय वर्षों में आवर्ती व्यय के लिए आवश्यक राशि की गणना करते हुए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
13. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा बिहार वित्त नियमावली एवं संगत वित्तीय प्रावधानों तथा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार के स्तर से निर्गत सभी दिशा-निदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि निविदा के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा दक्ष मानवबल की सेवा उपलब्ध करायी जाये। साथ ही, उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्रियों का क्रय किया जाए तथा राशि का व्यय किये जाने के पूर्व सभी विपत्रों तथा प्राप्त की गयी सेवाओं/

सामग्रियों इत्यादि की पूर्ण जाँच से संतुष्ट होने के उपरान्त ही वास्तविक दर के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार द्वारा यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जायेगा।
16. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना होंगे।
17. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि (व्यय विवरणी-“क”, “ख” एवं “ग” के अनुरूप) की निकासी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना द्वारा पटना समाहरणालय कोषागार, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (संख्या-PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन पर परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा नियमानुसार व्यय की कार्रवाई की जायेगी एवं व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
18. इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्षों के तहत विभिन्न विषय शीर्षों में उपबंधित राशि से किया जायेगा :-

- (i) बजट मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 -पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग सं०-02, उप शीर्ष-0101 -अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403001010101 (व्यय विवरणी-क संलग्न)।
- (ii) बजट मुख्य शीर्ष-2403 -पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-02, उप शीर्ष-0111 -अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007890111 (व्यय विवरणी-ख संलग्न)।
- (iii) बजट मुख्य शीर्ष-2403 पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं०-02, उप शीर्ष-0130- अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403007960130 (व्यय विवरणी-ग संलग्न)।

बजट की उपलब्धता- वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु “पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना” के तहत अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

19. दिनांक-14.07.2026 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)01/2025 के पृष्ठ 44-43/प०.
20. दिनांक-12.08.2026 को संपन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)01/2025 के पृष्ठ 60-59/प०.
21. चूँकि यह राज्य स्कीम अन्तर्गत एक नयी स्कीम है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)01/2025 के पृष्ठ-34/टि० एवं दिनांक-19.08.2026.
22. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)01/2025 के पृष्ठ-33/टि० तथा डायरी संख्या-560, दिनांक-17.08.2026.
23. वित्त विभाग के पत्र सं०-7355 दिनांक-05.10.2007 से संबंधित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(कुमार स्वीदि)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025- 4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा) /योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025- 4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ पटना समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025-4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/M/s Knowteq Concepts Pvt. Ltd., पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025-4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा, लेखा शाखा एवं योजना शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025-4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा नियंत्रक, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025-4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025-4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)01/2025-4644 /पटना-15, दिनांक-25/08/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी-“क”

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत “पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना” के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02-2403001010101)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0101.2101 –सामग्री एवं पूर्तियाँ	26.73	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
2	0101.2802 –संविदा सेवाएँ	198.75		
कुल –		225.48		

(रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख अड़तालीस हजार) मात्र।

4644
25/08/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी-“ख”

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत “पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना” के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (विपत्र कोड 02-2403007890111)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0111.2101 –सामग्री एवं पूर्तियाँ	5.18	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
2	0111.2802 –संविदा सेवाएँ	38.55		
कुल –		43.73		

(रुपये तैंतालिस लाख तिहत्तर हजार) मात्र।

4644
25/08/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी-“ग”

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत “पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना” के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड 02-2403007960130)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0130.2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ	0.49	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ़ोजेन सीमेन बैंक —सह-बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
2	0130.2802 संविदा सेवाएँ	3.60		
कुल —		4.09		

(रुपये चार लाख नौ हजार मात्र)

व्यय का सारांश

क्र०	व्यय विवरणी	प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)
1	“क”	225.48
2	“ख”	43.73
3	“ग”	4.09
कुल योग :-		273.30

(रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख तीस हजार) मात्र।

4644
25/08/26

348
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत डिजिटल एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीन (Digital X-Ray Machine and Ultrasound Machine) के संचालन हेतु मदवार आवश्यक राशि का आकलन

(क) मानवबल -

क्र० सं०	विवरणी	संख्या	दर प्रति इकाई (रुपयें में)	प्रति माह व्यय (रुपये में)	माह की संख्या	कुल आकलित व्यय (रुपये में)
1	तकनीशियन	40	35,000	14,00,000	9	1,26,00,000
2	परिचारी	40	18,000	7,20,000	9	64,80,000
योग –						1,90,80,000
3	सेवा शुल्क (अधिकतम)	Service Charge (7.0%)				13,35,600
कुल –						2,04,15,600
4	जी०एस०टी०	GST @ 18%				36,74,808
कुल योग –						2,40,90,408

(ख) आवश्यक सामग्री -

क्र० सं०	विवरणी	संख्या	अनुमानित व्यय प्रति इकाई, प्रति माह (रुपये में)	प्रति माह व्यय (रुपये में)	माह की संख्या	वार्षिक व्यय (रुपये में)
1	X-Ray Film	40	6,000	2,40,000	9	21,60,000
2	Consumables	40	3,000	1,20,000	9	10,80,000
	योग –					32,40,000
कुल योग (क + ख)					-	2,73,30,408
कुल प्रस्तावित राशि					-	2,73,30,000

(रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख तीस हजार मात्र)

4644
25/08/26

सरकार के संयुक्त सचिव

